न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता हजारीबाग

विविध वाद संख्या 12/13–14

श्यामलाल साव बनाम रामेश्वर प्रसाद केशरी वगैरह।

आदेश

यह वाद आवेदक श्यामलाल साव पिता स्व0 मुनी साव साकिन–कटकमसांडी के आवेदन पर आरंभ किया गया है, एवं विपक्षी को नोटिस देकर सुनवाई की गयी। आवेदक का कहना है, कि मौजा कटकमसाँडी थाना नं0–36 खाता नं0–11 कुल रकवा 13.89 एकड़ रैयती भूमि का वारिश है, और लगातार रसीद कटवा कर घर कुआँ बगीचा बनाकर दखलकार हैं। उसी जमीन का विपक्षी की दाखिल खारिज कर रसीद निर्गत करने की दिशा में अंचल अधिकारी कार्रवाई कर रहें हैं जिसे रोका जाय।

विपक्षी रामेश्वर प्रसाद केशरी वगैरह द्वारा अपने लिखित जवाब में दिया है, कि मौजा कटकमसाण्डी थाना नं0–11 के विभिन्न प्लौट कुल रकवा 13.89 एकड भूमि खतियानी रैयत महादेव साव के वंशज है, एवं भूमि पर शांतिपूर्ण दखलकार है। महादेव साव के मृत्यु के पश्चात् रामेश्वर प्रसाद केशरी वगैरह द्वारा दाखिल खारिज एंव रसीद निर्गत करने हेतु अंचल अधिकारी को आवेदन दिया था, जिसे अंचल अधिकारी कटकमसाण्डी द्वारा विविध वाद संख्या 03/13–14 रामेश्वर प्रसाद केशरी वगैरह बनाम श्यामलाल साव का संधारित कर स्थानीय जाँच एवं दोनों पक्षों के कागजातों की जाँच एवं हलका कर्मचारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षी का दावा सही पाकर दिनांक 28.08.13 को विपक्षी के पक्ष में खाता नं0–11 रकवा 7.65 एकड़ की जमाबंदी कायम कर रसीद निर्गत करने तथा शेष 6.24 एकड भूमि की संदेहात्मक जमाबंदी को स्थगित करते हुए, आवेदक श्यामलाल साव के दावा को खारिज किया गया।

विपक्षी का यह कहना है कि श्यामलाल साव खतियानी रैयत के वंशावली में कहीं नही आते है, जाली कागजातों के आधार पर अपना दावा करते हैं, और इसके लिए माननीय व्यवहार न्यायालय में विपक्षी के विरूद्ध स्वत्व वाद संख्या–137/13–14 दायर किये है, जो विचाराधीन है।

अभिलेख में संलग्न अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश से स्पष्ट होता है कि मौजा कटकमसाण्डी थाना नं0-36 खाता नं0-11 के विभिन्न प्लौट कुल रकवा 13.89 एकड भूमि विपक्षी रामेश्वर प्रसाद केशरी वगैरह खतियानी रैयत के वंशज है, जिसके विरूद्व आवेदक श्यामलाल साव के द्वारा माननीय व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद संख्या 137/13-14 दायर किये है, जो विचाराधीन है। माननीय व्यवहार न्यायालय से बाद के निष्पादन के पश्चात जमाबंदी रद्व करने संबंधी विधि संगत कार्यवाही की जायेगी।

अतः आवेदक के आवेदन को निरस्तार करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सदर, हजारीबाग।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सदर, हजारीबाग।